राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 750/2015/भीलवाडा

मैसर्स बी.एम.पोरवाल एण्ड कम्पनी,
भीलवाडा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री एम.पी.शर्मा,
कर सलाहकार ....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 1/8/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 103/वैट/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् आरोपित मांग राशि को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष वर्ष 2012–13 के विवरण पत्र पेश किये गये। इस पर सशक्त अधिकारी ने वैट लगाकर कर राशि रूपये 19,813/– का आरोपण कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.09.2014 पारित कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित कर अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.01.2015 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर वैट के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर आरोपित राशि रूपये 7,181/– को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से वैट बढाकर आरोपित कर दिया, जबकि वैट अधिनियम के अनुसार वैट बढाने से पूर्व व्यवहारी को विशेष नोटिस दिया जाना

लगातार.....2

आवश्यक होता है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा बिना सुनवायी का मौका दिये ही वैट का बढाकर आरोपण कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल–मैटेरियल खरीदकर उसे संविदा कार्य में लगा दिया जाता है। सशक्त अधिकारी ने संविदा कार्य में लगाये गये माल पर लाभांश व खर्चे जोडकर जो वैट आरोपित किया है, वह सही प्रतीत होता है। इस पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भी कोई त्रृटि नहीं की है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

11/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य